Registered No. P. 97 रजिस्टर्ड नं० पी० ९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 सितम्बर, 1959/27 भाद्रपद, 1881

HIMACHAL PRADESH ADMINISTRATION

REVENUE AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla-4, *the* 12*th August*, 1959/ 21*st Sravana*, 1881

No. Ex. 9-384/59.—The Government of India, Ministry of Finance, Notification No. 644, dated the 28th February, 1959 is reproduced below for general information.

RAGHUBIR SINGH,
Joint Secretary (*Revenue*).

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, २८ फरवरी, १९५७

सं० नि० आ० ६४४.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

१. ये नियम केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७ कहलाए जा सकेंगे।

२. इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ अभिप्रेत है ;

(कक) "प्राधिकृत पदाधिकारी" से धारा ८ की उपधारा (४) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "अधिसूचित प्राधिकारी" से धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(गग) "विहित प्राधिकारी" से यथास्थिति धारा ९ की उपधारा (३) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी या धारा १३ की उपधारा (४) के खंड (ङ) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(घघ) "हस्तान्तरक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि धारा ३ के खंड (ख) में निर्दिष्ट ढंग में कोई विक्रय करता है ;

(ङ) "भांडागार" से कोई ऐसा घर, इमारत या जलयान अभिप्रेत है जिसमें व्यापारी विक्रयार्थ वस्तुओं का स्टाक रखता है।

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

३. (१) धारा ७ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्ररूप 'क' में व्यापारी द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी से किया जायगा: और

(क) कारवार के स्वत्वधारी द्वारा या फर्म की अवस्था में उसके भागीदारों में से एक के द्वारा या हिन्दू अविभक्त परिवार की अवस्था में परिवार के कर्त्ता या प्रबन्धक द्वारा या समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन निगमित समवाय की अवस्था में उसके निदेशक, प्रबन्ध-अभिकर्त्ता या उसके प्रधान पदाधिकारी द्वारा या सरकार की अवस्था में उस सरकार द्वारा सम्यक्त: प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा या व्यक्तियों की किसी अन्य संस्था की अवस्था में कारबार का प्रबन्ध करने वाले प्रधान पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा ; और

(ख) उक्त प्ररूप 'क' में उपबन्धित रीति में सत्यापित किया जायगा।

(२) जहां कि एक राज्य के भीतर, एक से अधिक कारबार के स्थान किसी व्यापारी के हैं वहां वह ऐसे सब स्थानों की बाबत एकल आवेदन देगा, ऐसे स्थोनों में से एक को ऐसे आवेदन में इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, कारबार के प्रमुख स्थान के रूप में नामांकित करेगा और ऐसा आवेदन ऐसे अधिसूचित पदाधिकारी को भेजेगा जो कि नामांकित कारबार के प्रमुख स्थान की बाबत उल्लिखित है :

परन्तु कोई नामांकित स्थान, किसी अवस्था में भी उस स्थान से, यदि कोई हो, चाहे वह किसी भी नाम से क्यों न ज्ञात हो, भिन्न नहीं होगा, जो कि राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन उस ने कारबार का प्रमुख स्थान घोषित किया है।

४. (१) धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन वाला रजिस्ट्री करण का आवेदन, उस तारीख से अनधिक तीस दिन पश्चात् किया जायगा, जिस को कि व्यापारी अधिनियम के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन होता है।

(२) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन वाला रजिस्ट्रीकरण का आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किया जा सकेगा।

(३) उपनियम (१) या उपनियम (२) के अधीन वाले रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक आवेदन की बाबत पांच रुपये की फीस देय होगी; और ऐसी फीस ऐसे आवेदन पर चिपकाये गये न्यायालय फीस मुद्रांकों के रूप में चुकाई जा सकेगी।

५. (१) जब किसी अधिसूचित प्राधिकारी का समाधान ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझता है, हो जाता है कि आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां शुद्ध और पूर्ण हैं और नियम ४ के उपनियम (३) में निर्दिष्ट फीस चुकाई जा चुकी है तब वह व्यापारी का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उसे प्ररूप (ख) में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र और उस में वर्णित कारबार के प्रमुख स्थान से भिन्न राज्य के भीतर के कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति भी अनुदत्त करेगा।

(२) जब कि उक्त प्राधिकारी का समाधान न हुआ हो कि आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां शुद्ध और पूर्ण हैं या जहां कि नियम ४ के उपनियम (३) में निर्दिष्ट फीस चुकाई नहीं गई है वहां वह लेखनबद्ध रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देगा :

परन्तु आवेदन अस्वीकार करने के पूर्व आवेदक को उस विषय में सुने जाने का और यथास्थिति उक्त विशिष्टियों को शुद्ध और पूर्ण करने का या नियम ४ के उपनियम (३) की अपेक्षाओं का अनुवर्त्तन करने का अवसर दिया जायेगा।

६. नियम ५ के उपनियम (१) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रमुख स्थान में रखा जायेगा और उक्त उपनियम के अधीन अनुदत्त ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति ऐसे प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रमुख स्थान से भिन्न राज्य के भीतर के कारबार के प्रत्येक स्थान में रखी जायगी।

७. (१) जहां कि कोई व्यापारी इन नियमों के अधीन अपने को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का संशोधन करवाना चाहता है वहां वह अपने को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियों के सहित, यदि कोई हों, ऐसे उल्लिखित मामलों को जिनकी बाबत वह ऐसा संशोधन चाहता है और उनके कारणों को उपवर्णित करते हुए अधिसूचित प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिये एक आवेदन भेजेगा और यदि दिये गये कारणों से ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है तो वह उसको अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियों में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझता है।

(२) धारा ६ के उपबन्ध ऐसे संशोधन प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियों की बाबत ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे मूल प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियों की बाबत लागू होते हैं।

८. (१) जहां कि किसी व्यापारी को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र खो जाता है या विनष्ट, विरूपित या विकृत हो जाता है वहां वह अधिसूचित प्राधिकारी को तन्निमित्त

दिये गये आवेदन पर और दो रुपये की फीस की अदायगी पर ऐसे प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा।

(२) उपनियम (१) के अधीन देय फीस न्यायालय फीस मुद्रांकों के रूप में चुकाई जायगी।

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों का संशोधन या अपखण्डन

९. (१) अधिसूचित प्राधिकारी, धारा ७ की उपधारा (४) के अधीन व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का, यथास्थिति संशोधन या अपखंडन करने के पूर्व, उसे उस विषय में सुने जाने का अवसर देगा।

(२) यदि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में संशोधन करने की प्रस्थापना की जाती है तो व्यापारी अपने को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियां, यदि कोई हों, उनका संशोधन कराने के लिए, अधिसूचित प्राधिकारी के सामने, तत्क्षण पेश करेगा।

(३) यदि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अपखंडित कर दिया जाता है तो व्यापारी अपने को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियां, यदि कोई हों, तत्क्षण, अधिसूचित प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर देगा।

१०. यदि कोई व्यापारी अपने रजिस्ट्रीकरण के अपखंडन के लिए धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन आवेदन करना चाहता है तो वह अपने को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र और उसकी प्रतियों के सहित, यदि कोई हों, तन्निमित्त एक आवेदन उस उपधारा में उल्लिखित समय के भीतर अधिसूचित प्राधिकारी को भेजेगा और ऐसे आवेदन से उस उपधारा के उपबन्धों के अनुकूल बरता जायेगा।

व्यापारावर्त का अवधारण

११. (१) इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन किसी व्यापारी की बाबत व्यापारावर्त की कालावधि वही होगी जिसकी बाबत कि वह समुचित राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन विवरणियां देने के दायित्वाधीन है:

परन्तु जो व्यापारी समुचित राज्य की साधारण विक्रय कर विधि के अधीन विवरणियां देने के दायित्वाधीन नहीं है उसके सम्बन्ध में व्यापारावर्त की कालावधि यथास्थिति वित्तीय वर्ष की ३० जून, ३० सितम्बर, ३१ दिसम्बर और ३१ मार्च को समाप्त होने वाला तिमासा होगा।

(२) धारा ८ के प्रयोजनों के लिए व्यापारी का व्यापारावर्त अवधारित करने में, ऐसी वस्तुओं के क्रेता द्वारा व्यापारी को वस्तुओं के परिदान की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर वापस की गई सब वस्तुओं की विक्रय कीमत घटा दी जायेगी:

परन्तु यह तब जब कि वस्तुओं की ऐसी वापसी, और नकद प्रतिदान या लेखा समायोजन के रूप में रकम के ऐसे प्रतिशोधन का समाधानप्रद साक्ष्य विहित प्राधिकारी के सामने पेश किया जाता है।

१२. (१) धारा ८ की उपधारा (४) में निर्दिष्ट घोषणा और प्रमाणपत्र क्रमशः प्ररूप (ग) और (घ) में होंगे :

परन्तु १ अक्तूबर, १९५८ के अव्यवहित पूर्व यथाप्रवृत्त प्ररूप (ग) में की घोषणा भी उपयुक्त रूपभेदों के सहित ३० सितम्बर, १९५९ तक प्रयुक्त की जा सकेगी।

(२) धारा ६ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र यथास्थिति प्ररूप 'ङ१' या 'ङ२' में होंगे।

वस्तुओं का कुछ प्रयोजनों के लिए विहित किया जाना

१३. धारा ८ की उपधारा (३) के खंड (ख) में निर्दिष्ट वस्तुएं जिनको कि रजिस्ट्रीकृत व्यापारी खरीद सकेगा वे वस्तुएं होंगी जो कि उसके द्वारा कच्ची सामग्री, अभिमंस्करण, सामग्री, यंत्र-कलाप, संयंत्र, माज-सामान, औज़ार, स्टोर्स, अतिरिक्त पुर्जे, उपांग, इंधन या चिकना करने वाले पदार्थ के रूप में विक्रयार्थ वस्तुओं के अभिनिर्माण या अभिमंस्करण में या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित हैं।

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप 'क'

(धारा ३ देखिए)

केन्द्रीय-विक्रय कर अधिनियम, १९५६ की धारा ७(१), ७(२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का आवेदन

*..... को,

.....का पुत्र, मैं.....

‡..... के राज्य के भीतर‡‡..... के रूप में ज्ञात कारबार करने वाले व्यापारी की ओर से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ की धारा ७ (१), ७ (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं और इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विशिष्टियां देता हूं :—

१. उक्त राज्य में व्यापारी के कारबार की बाबत प्रबन्ध समझे जाने वाले व्यक्ति का नाम।

२. उस व्यक्ति की हैसियत या उसका सम्बन्ध जो ऐसा आवेदन करता है (उदाहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्वधारी, निदेशक, राजकीय कारबार का भार-साधक पदाधिकारी)।

३. उक्त राज्य में के कारबार के प्रमुख स्थान का नाम और उसका पता।

---

*यहां अधिनियम की धारा ७ (१) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण या विशेष आदेश में उल्लिखित प्राधिकारी लिख दीजिए।

‡यहां उस राज्य का नाम लिख दीजिए जिसमें रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किया जाता है।

‡‡यहां वह नाम और नामादि लिख दीजिए जिसके अधीन कारबार किया जाता है।

४. ऐसे उक्त राज्य में के, स्थान का अन्य स्थानों के नाम जिन में कारबार किया जाता है और ऐसे प्रत्येक स्थान का पता।

५. ऐसे उक्त राज्य में के भांडागारों की पूर्ण सूची जिनमें कारबार सम्बन्धी वस्तुएं भांडागारित की जाती हैं और ऐसे प्रत्येक भांडागार का पता।

६. ऐसे प्रत्येक स्थान के पते के सहित अन्य राज्यों में से प्रत्येक में के कारबार के स्थानों की सूची (यदि कारबार के ऐसे किसी स्थान की बाबत केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, १९५६ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का पृथक् आवेदन दिया गया है या पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर लिया गया है तो उसकी विशिष्टियां ब्योरेसहित दी जानी चाहिए।

७. *कारबार:—

सम्पूर्णत :
मुख्यत :
अंशत :
अंशत :
अंशत :

है।

८. किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन जारी किये गये व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा इत्यादि सम्बन्धी विशिष्टियां।

९. हम**.....के सदस्य हैं।

१०. हम अपने लेखा.....भाषा और.....लिपि में रखते हैं।

११. ***उनकी आयु, पिता का नाम, इत्यादि के सहित ऐसे कारबार के स्वत्वधारी/कारबार के भागीदारों/सब व्यक्तियों के, जो कारबार में कोई हित रखते है, नाम और पते :

क्रम संख्या	पूरा नाम	पिता का पति का नाम	आयु	कारबार में के हित का विस्तार	वर्तमान पता	स्थायी पता	हस्ताक्षर	****स्तम्भ ८ में का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पता और हस्ताक्षर
१	२	३	४	५	६	७	८	९

*यहां लिख दीजिए कि क्या कारबार सम्पूर्णत: कृषि, औद्यानिकी, खनन, अभिनिर्माण थोक वितरण, फुटकर वितरण, संविदा कार्य या आहार-प्रदान इत्यादि या उनमें से दो या दो से अधिक की कोई संहति है।

**यहां उस वाणिज्य मण्डल, व्यापार संस्था या वाणिज्यिक निकाय का नाम लिख दीजिए जिसका कि व्यापारी सदस्य है।

***यदि आवेदक समवाय अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) या किसी अन्य विधि के अधीन निगमित समवाय न हो तो भरा जायेगा।

****सम्पृक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त और अभिप्रमाणित किये जाने चाहिये।

१२. वह कारबार जिसकी बाबत यह आवेदन किया जाता है पहले..... को आरम्भ किया गया था ।

१३. अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रमों का प्रथम विक्रय.....को किया गया था ।

१४. *हम.....कैलैन्डर का अनुपालन करते हैं और लेखा प्रयोजनों के लिए हमारा वर्ष.....के.....दिन **(अंग्रेजी तारीख).....के.....दिन (भारतीय तारीख) से.....के.....दिन (अंग्रेजी तारीख/भारतीय तारीख) तक होता है ।

१५. हम प्रत्येक मास/तिमासा/छमाही/वर्ष की समाप्ति की तारीख तक अपना विक्रय खाता पूरा करते हैं ।

१६. ***निम्नलिखित वस्तुएं या वर्ग की वस्तुएं :—

(क) पुनर्विक्रय के लिए ।

(ख) विक्रयार्थ वस्तुओं के अभिनिर्माण या अभिसंस्करण में के उपयोग के लिए.....

(ग) खनन में के उपयोग के लिए.....

(घ) बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में के उपयोग के लिए.....

(ङ) विक्रयार्थ/पुनर्विक्रयार्थ वस्तुओं के वेष्टन में के उपयोग के लिए..... अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में व्यापारी द्वारा खरीदी गई हैं ।

१७. हम निम्नलिखित वर्गों की वस्तुओं का अभिनिर्माण या अभिसंस्करण करते हैं या उन्हें खनन में निकालते हैं या निम्नलिखित स्वरूप की शक्ति का जनन या वितरण करते हैं अर्थात्.....

१८. उपरोक्त कथन मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वासानुसार सही हैं ।

आवेदक का पूरा नाम.....

हस्ताक्षर.....

तारीख..... व्यापारी के सम्बन्ध में हैसियत..... .....

---

*यहां अंग्रेजी बंगाली, फसली, हिजरी, मारवाड़ी, या अन्य कैलैन्डर लिख दीजिए जिसका अनुपालन किया जाता है ।

**इन प्रविष्टियों को भरने में उन व्यापारियों को, जो अंग्रेजी कैलैंडर का अनुपालन नहीं करते हैं, वे तारीखें जो उन के अपने कैलैन्डर के अनुसार हों, और अंग्रेजी कैलैन्डर की तत्स्थानी तारीख, देना चाहिए ।

***यहां प्रत्येक प्रवर्ग के सामने वस्तुओं या वर्ग की वस्तुओं को नामांकित कीजिए । जो प्रभाग या कंडिका लागू न हो उसे काट दीजिए ।

केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ख"

[नियम १५ (१) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

संख्या.....(केन्द्रीय)

यह प्रमाणित किया जाता है कि*.....जिसका..... राज्य के भीतर वाला कारबार का प्रमुख स्थान .....में अवस्थित है केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, १९५६ की धारा ७(१)/७(२) के अधीन व्यापारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है ।

कारबार:

पूर्णत:**
मुख्यत:
अंशत:
अंशत:
अंशत:

है ।

उक्त अधिनियम की धारा ८ की उपधाराएं (१) और (३) के प्रयोजनों के लिए उल्लिखित वर्ग/वर्गों की वस्तुएं निम्नलिखित हैं और अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में व्यापारी को इन वस्तुओं के विक्रय उक्त धारा की उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस उपधारा में उल्लिखित दरों के अनुसार कराधेय होंगे ।

(क) पुनर्विक्रय के लिए
(ख) विक्रयार्थ वस्तुओं के अभिनिर्माण या अभिसंस्करण में के उपयोग के लिए
(ग) खनन में के उपयोग के लिए
(घ) बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण में के उपयोग के लिए
(ङ) विक्रयार्थ पुनर्विक्रयार्थ वस्तुओं क वेष्टन में के उपयोग के लिए ।

व्यापारी निम्नलिखित वर्गों की वस्तुओं का अभिनिर्माण या अभिसंस्कारण करता है या खनन में निकालता है या निम्नलिखित स्वरूप की शक्ति का खनन या वितरण करता है, अर्थात्

व्यापारी का वर्ष लेखा के प्रयोजनों के लिए.....के.....दिन से .....के..... दिन तक होता है ।

---

*यहां वह नाम और नामादि लिख दीजिए जिसके अधीन कारबार चलाया जाता है ।

**यहां लिख दीजिए कि क्या कारबार सम्पूर्णत: कृषि, औद्यानिकी, खनन, अभिनिर्माण, थोक वितरण, फुटकर वितरण, संविदाकार्य या आहार प्रदान इत्यादि या उनमें से दो या दो से अधिक संहति है । जो लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

व्यापारी का कारबार का कोई अतिरिक्त स्थान नहीं है । उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान हैं जो कि नीचे कथित हैं—

(क) रजिस्ट्रीकरण वाले राज्य में

(ख) अन्य राज्यों में

व्यापारी के भांडागार रजिस्ट्रीकरण वाले राज्य के भीतर निम्नलिखित स्थानों में हैं—

(१)

(२)

(३)

यह प्रमाणपत्र .....मे तब तक, जब तक कि यह अपखंडित न कर दिया जाय, मान्य है ।

हस्ताक्षरित.....

तारीख..... (अधिसूचित प्राधिकारी)

(मुद्रा)

प्रति पर्ण

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ग"

घोषणा का प्ररूप

[नियम १२(१)' देखिये]

देने वाले राज्य का नाम
देने वाला कार्यालय
देने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या के सहित उस क्रेता व्यापारी का नाम जिसको दिया गया है।

वह तारीख जब से कि रजिस्ट्रीकरण मान्य है .....

क्रम संख्या.....

देने वाले प्राधिकारी की मुद्रा।

.....*(विक्रेता) को

यह प्रमाणित है कि

द्विपत्र

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ग"

घोषणा का प्ररूप

[नियम १२(१) देखिये]

देने वाले राज्य का नाम
देने वाला कार्यालय
देने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या के सहित उस क्रेता व्यापारी का नाम जिसको दिया गया है ।

वह तारीख जब से कि रजिस्ट्रीकरण मान्य है.....

क्रम संख्या.....

देने वाले प्राधिकारी की मुद्रा ।

..... *(विक्रेता) को

यह प्रमाणित है कि

मूल प्रति

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ग"

घोषणा का प्ररूप

[नियम १२(१) देखिये]

देने वाले राज्य का नाम
देने वाला कार्यालय
देने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या के सहित उस क्रेता व्यापारी का नाम जिसको दिया गया है ।

वह तारीख जब से कि रजिस्ट्रीकरण मान्य है.....

क्रम संख्या.....

देने वाले प्राधिकारी की मुद्रा ।

..... (विक्रेता) को ।

यह प्रमाणित है कि

‡‡हमारे .....संख्या .....तारीख वाले क्रयादेश द्वारा आदिष्ट नीचे लिखे गये बिल/कैश मीमो के अनुसार आप के क्रीत

आप के.....संख्या ..... तारीख वाले चालान के अधीन प्रदत्त आदिष्ट वस्तुएं

‡‡पुनर्विक्रय के,

विक्रयार्थ वस्तुओं के अभिनिर्माण/अभिसंस्करण में उपयोग के,

खनन में के उपयोग के,

शक्ति के जनन/वितरण में उपयोग के/विक्रय/पुनर्विक्रय के लिए वस्तुओं के वेष्टन के लिए है।

और केन्द्रीय विक्रया कर अधिनियम, १९५६ के अधीन दिये गये मेरे/हमारे संख्या..... तारीख वाले रजिस्ट्रीकरण पत्र के अन्तर्गत हैं।

क्रेता व्यापारी का पूरा नाम और पता.....

तारीख.....

(घोषणा को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसकी हैसियत)

‡‡हमारे.....संख्या..... तारीख वाले क्रयादेश द्वारा आदिष्ट नीचे लिखे गये बिल/कैश मीमो के अनुसार आप से क्रीत

आप के ..... संख्या ..... तारीख वाले चालान के अधीन प्रदत्त आदिष्ट वस्तुएं

‡‡पुनर्विक्रय के,

विक्रयार्थ वस्तुओं के अभिनिर्माण/अभिसंस्करण में उपयोग के,

खनन में के उपयोग के

शक्ति के जनन/वितरत में उपयोग के विक्रय/पुनर्विक्रय के लिए वस्तुओं के वेष्टन के लिए हैं

और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ के अधीन किये गये मेरे/हमारे संख्या..... तारीख वाले रजिस्ट्रीकरण पत्र के अन्तर्गत हैं।

क्रेता व्यापारी का पूरा नाम और पता.....

तारीख.....

(घोषणा को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसकी हैसियत)

‡‡हमारे ..... संख्या .....तारीख वाले क्रयादेश द्वारा आदिष्ट नीचे लिखे गये बिल/कैश मीमो के अनुसार आप से क्रीत

आपके ..... संख्या ..... तारीख वाले चालान के अधीन प्रदत्त आदिष्ट वस्तुएं

‡‡पुनर्विक्रय के,

विक्रयार्थ वस्तुओं के अभिनिर्माण/अभिसंस्करण में उपयोग के,

खनन में के उपयोग के

शक्ति के जनन/वितरण में उपयोग के विक्रय/पुनर्विक्रय के लिए वस्तुओं के वेष्टन के लिए है।

और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ के अधीन दिये गये मेरे/हमारे संख्या..... तारीख वाले रजिस्ट्रीकरण पत्र के अन्तर्गत हैं।

क्रेता व्यापारी का पूरा नाम और पता.....

तारीख.....

(घोषणा को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और उसकी हैसियत)

*बिल/कैश मीमों की विशिष्टियां

तारीख.....संख्या.....

रकम.....

*राज्य के नाम के सहित विक्रेता का नाम और पता ।

(टिप्पण: क्रेता व्यापारी द्वारा रख लिया जाये) ।

‡‡जो भी लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

प्रति पर्ण

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "घ"

सरकारी क्रय करने के प्रमाणपत्र का प्ररूप
[नियम १२(१) देखिए]

(रजिस्ट्रीकृत व्यापारी न होते हुए सरकार की ओर से क्रय करते समय प्रयोग में लाया जाय)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार का नाम.....

देने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम.....

*बिल/कैश मीमों की विशिष्टियां

तारीख.....संख्या.....

रकम.....

*राज्य के नाम के सहित विक्रेता का नाम और पता

(टिप्पण: विक्रेता व्यापारी द्वारा रखे लिया जाय)।

‡‡जो भी लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

द्वितीय प्रति

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "घ"

सरकारी क्रय करने के प्रमाणपत्र का प्ररूप
[नियम १२(१) देखिए]

(रजिस्ट्रीकृत व्यापारी न होते हुए सरकार की ओर से क्रय करते समय प्रयोग में लाया जाय)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार का नाम .....

देने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम.....

*बिल/कैश मीमों की विशिष्टियां

तारीख.....संख्या.....

रकम.....

*राज्य के नाम के सहित विक्रेता का नाम और पता

टिप्पण: समुचित राज्य सरकार द्वारा धारा १३ (४) (ङ) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुकूल विहित प्राधिकारी को दी जाए ।

‡‡जो भी लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

मूल प्रति

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "घ"

सरकारी क्रय करने के प्रमाणपत्र का प्ररूप
[नियम १२ (१) देखिए]

(रजिस्ट्रीकृत व्यापारी न होते हुए सरकार की ओर से क्रय करते समय प्रयोग में लाया जाय) ।

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार का नाम.....

देने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम.....

देने वालें कार्यालय का नाम और पता.....
.....*(विक्रेता) को
यह प्रमाणित है कि
हमारे..... संख्या ..... तारीख वाले क्रयादेश में आदिष्ट
आप से नीचे लिखे बिल/कैश मीमो के अनुसार खरीदी गई ।
आपके.....संख्या.....तारीख वाले चालान के अधीन प्रदत्त
वस्तुएं.....सरकार के द्वारा या निमित्त खरीदी गई हैं।

तारीख..... हस्ताक्षर.....
.....सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी का पदाभिधान।

सरकार के सम्यक्त: प्राधिकृत पदाधिकारी की मुद्रा
*बिल/कैश मेमो की विशिष्टियां
तारीख.....संख्या.....रकम..... राज्य के नाम के सहित क्रेता का नाम और पता
**जो भी लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

टिप्पण:--प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा रख लिया जाये ।

देने वाले कार्यालय का नाम और पता.....
.....*(विक्रेता) को
यह प्रमाणित है कि
हमारे..... संख्या.....तारीख वाले क्रयादेश में आदिष्ट
आप से नीचे लिखे बिल/कैश मीमो के अनुसार खरीदी गई ।
आपके.....संख्या.....तारीख वाले चालान के के अधीन प्रदत्त
वस्तुएं.....सरकार के द्वारा या निमित्त खरीदी गई है ।

तारीख..... हस्ताक्षर.....
.....सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी का पदाभिधान ।

सरकार के सम्यक्त: प्राधिकृत पदाधिकारी की मुद्रा
*बिल/कैश मेमो की विशिष्टियां
तारीख .....संख्या..... रकम ..... राज्य के नाम के सहित क्रेता का नाम और पता
**जो भी लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

टिप्पण:--प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा रख लिया जाये ।

देने वाले कार्यालय का नाम और पता.....
..... *(विक्रेता) को
यह प्रमाणित है कि
हमारे.....संख्या.....तारीख वालें क्रयादेश में आदिष्ट
आप से नीचे लिखे बिल/कैश मीमो के अनुसार खरीदी गई ।
आपके..... संख्या.....तारीख वाले चालान के अधीन प्रदत्त
वस्तुएं.....सरकार के द्वारा या निमित्त खरीदी गई हैं ।

तारीख..... हस्ताक्षर.....
.....सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी का पदाभिधान ।

सरकार के सम्यक्त: प्राधिकृत पदाधिकारी की मुद्रा
*बिल/कैश मेमो की विशिष्टियां
तारीख ..... संख्या ..... रकम ..... राज्य के नाम के सहित क्रेता का नाम और पता
**जो भी लागू नही उसे काट दीजिए ।

टिप्पण: समुचित राज्य सरकार द्वारा धारा १३(३) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुकूल विहित प्राधिकारी को दी जाये ।

प्रति पर्ण

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ङ I"

राज्य का नाम
क्रम संख्या

धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन प्रमाणपत्र
[नियम १२(२) देखिए]

(*i*) उस अवस्था में, जिसमें विक्रय धारा ३(क) के अधीन आता है, उस विक्रेता द्वारा, जिसने वस्तुओं का प्रथम चालान किया हो या

(*ii*) उस अवस्था में, जिसमें विक्रय धारा ३ (ख) के अधीन आता है, उस व्यापारी द्वारा, जो वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य को चालान के अभ्यन्तर प्रथम अन्तर्राज्यिक विक्रय करता है, (दो प्रतियों में) दिया जाये।

(क) बेचने वाले व्यापारी का नाम.....
(ख) (*i*) खरीदने वाले व्यापारी का नाम.....
(*ii*) (राज्य के सहित) पता.....

द्विपत्रक

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ङ I"

राज्य का नाम
क्रम संख्या

धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन प्रमाणपत्र
[नियम १२(२) देखिए]

(*i*) उस अवस्था में, जिसमें विक्रय धारा ३(क) के अधीन आता है, उस विक्रेता द्वारा, जिसने वस्तुओं का प्रथम चालान किया हो या

(*ii*) उस अवस्था में, जिसमें विक्रय धारा ३ (ख) के अधीन आता है, उस व्यापारी द्वारा, जो वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य को चालान के अभ्यन्तर प्रथम अन्तर्राज्यिक विक्रय करता है, (दो प्रतियों में) दिया जाये ।

(क) बेचने वाले व्यापारी का नाम.....
(ख) (*i*) खरीदने वाले व्यापारी का नाम.....
(*ii*) (राज्य के सहित) पता.....

मूल प्रति

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ङ I"

राज्य का नाम
क्रम संख्या

धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन प्रमाणपत्र
[नियम १२(२) देखिए]

(*i*) उस अवस्था में, जिसमें विक्रय धारा ३(क) के अधीन आता है, उस विक्रेता द्वारा, जिसने वस्तुओं का प्रथम चालान किया हो या

(*ii*) उस अवस्था में, जिसमें विक्रय धारा ३ (ख) के अधीन आता है, उस व्यापारी द्वारा, जो वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य को चालान के अभ्यन्तर, प्रथम अन्तर्राज्यिक विक्रय करता है, (दो प्रतियों में) दिया जाय ।

(क) बेचने वाले व्यापारी का नाम.....
(ख) (*i*) खरीदने वाले व्यापारी का नाम.....
(*ii*) (राज्य के सहित) पता.....

(ग) (*i*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसमें चालान आरम्भ हुआ.....

(*ii*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसको वस्तुएं हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा प्रेषित की गई हैं.....

(घ) (*i*) बीजक संख्या और तारीख.....

(*ii*) वस्तुओं का अभिवर्णन, उनकी मात्रा और उनका मूल्य.....

(*iii*) देने वाले राज्य के नाम के सहित खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त प्ररूप 'ग' वाली घोषणा की संख्या और तारीख.....

(*iv*) रेल रसीद (बिलटी) लारी का (ट्रिपशीट) या परिवहन के अन्य साधनों के किसी अन्य दस्तावेज की संख्या और तारीख.....

मैं/हम, ऊपर वर्णित बेचने वाला/बेचने वाले व्यापारी, प्रमाणित करता हूं/करते हैं

कि मैं/हम अधिनियम के अधीन, रजिस्ट्रीकृत हूं/हैं और..... .....राज्य में का रजिस्ट्रीकरण पत्र संख्या..... तारीख वाला संधारण करता हूं/करते हैं । मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन दस्तावेजों के अन्तर्गत जिनकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, वस्तुओं के विक्रय पर अधिनियम के अधीन कर.....राज्य के

(ग) (*i*) उस स्थान और राज्य का नाम जिस में चालान आरम्भ हुआ.....

(*ii*) उस स्थान और राज्य का नाम जिस को वस्तुएं हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा प्रेषित की गई हैं.....

(घ) (*i*) वीजक संख्या और तारीख.....

(*ii*) वस्तुओं का अभिवर्णन, उनकी मात्रा और उनका मूल्य.....

(*iii*) देने वाले राज्य के नाम के सहित खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त प्ररूप "ग" वाली घोषणा की संख्या और तारीख.....

(*iv*) रेल रसीद (बिलटी) लारी का (ट्रिपशीट) या परिवहन के अन्य साधनों के किसी अन्य दस्तावेज की संख्या और तारीख.....

मैं/हम, ऊपर वर्णित बेचने वाला/बचने वाले व्यापारी, प्रमाणित करता हूं/करते हैं

कि मैं/हम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूं/हैं और.....राज्य में का रजिस्ट्रीकरण पत्र संख्या.....तारीख वाला संधारण करता हूं/करते हैं। मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन दस्तावेजों के अन्तर्गत जिनकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, वस्तुओं के विक्रय पर

(ग) (*i*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसमें चालान आरम्भ हुआ.....

(*ii*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसको वस्तुएं हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा प्रेषित की गई हैं.....

(घ) (*i*) वीजक संख्या और तारीख.....

(*ii*) वस्तुओं का अभिवर्णन, उनकी मात्रा और उनका मूल्य.....

(*iii*) देने वाले राज्य के नाम के सहित खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त प्ररूप "ग" वाली घोषणा की संख्या और तारीख.....

(*iv*) रेल रसीद (बिलटी) लारी का (ट्रिपशीट) या परिवहन के अन्य साधनों के किसी अन्य दस्तावेज की संख्या और तारीख.....

मैं/हम, ऊपर वर्णित बेचने वाला/बेचने वाले व्यापारी, प्रमाणित करता हूं/करते हैं

कि मैं/हम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूं/हैं और.....राज्य में का रजिस्ट्रीकरण पत्र संख्या....तारीख वाला संधारण करता हूं/करते हैं । मैं/हम उन दस्तावजों के अन्तर्गत जिनकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, वस्तुओं के विक्रय पर अधिनियम के अधीन कर.....राज्य के समुचित

समुचित विक्रय कर प्राधिकारी को चुका दूंगा/चुका देंगे/दे चुका हूं/दे चुके हैं ।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... व्यक्ति की हैसियत या सम्बन्ध (उदाहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्व-धारी, निदेशक, सरकारी कारबार का भारसाधक पदाधिकारी)

.....

तारीख.....पता.....

(राज्य के नाम के सहित)

टिप्पण: प्रमाणपत्र देने वाले व्यापारी द्वारा रख ली जाय ।

अधिनियम के अधीन कर.....राज्य के समुचित विक्रय कर प्राधिकारी को चुका दूंगा/चुका देंगे/दे चुका हूं/दे चुके हैं ।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... व्यक्ति की हैसियत या सम्बन्ध (उदाहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्व-धारी, निदेशक, सरकारी कारबार का भारसाधक पदाधिकारी)

.....

तारीख.....पता.....

(राज्य के नाम के सहित)

टिप्पण: प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यापारी द्वारा रख ली जाये ।

विक्रय कर प्राधिकारी को चुका दूंगा/चुका देंगे/दे चुका हूं/दे चुके हैं ।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... व्यक्ति की हैसियत या सम्बन्ध (उदारहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्व-धारी, निदेशक, सरकारी कारबार का भारसाधक पदाधिकारी)

.....

तारीख.....पता.....

(राज्य के नाम के सहित)

टिप्पण: समुचित राज्य सरकार द्वारा धारा १३(३) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुकूल विहित प्राधिकारी को दी जाय ।

प्रति पर्ण

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ङ II"

धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन प्रमाणपत्र

[नियम, १२(२) देखिए]

राज्य का नाम

क्रम संख्या

[धारा ६(२)(क) में निर्दिष्ट विक्रय क्रम में के प्रथम या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरक द्वारा या धारा ६(२)(ख) में निर्दिष्ट विक्रय क्रम में के द्वितीय या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरक द्वारा (दो प्रतियों में) दिया जाये]।

(क) वस्तुओं के हक्क दस्तावेजों के हस्तान्तरण द्वारा बेचने वाले व्यापारी का नाम.....

(ख) (*i*) खरीदने वाले व्यापारी का नाम.....

(*ii*) पता (राज्य के नाम के सहित).....

(ग) (*i*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसमें चालान आरम्भ हुआ.....

(*ii*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसको वस्तु प्रेपित की गई है.....

द्विपत्रक

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ङ II"

धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन प्रमाणपत्र

[नियम, १२(२) देखिए]

राज्य का नाम

क्रम संख्या

[धारा ६(२)(क) में निर्दिष्ट विक्रय क्रम में के प्रथम या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरक द्वारा या धारा ६(२)(ख) में निर्दिष्ट विक्रय क्रम में के द्वितीय या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरक द्वारा (दो प्रतियों में) दिया जाये]।

(क) वस्तुओं के हक्क दस्तावेजों के हस्तान्तरण द्वारा बेचने वाले व्यापारी का नाम.....

(ख) (*i*) खरीदने वाले व्यापारी का नाम.....

(*ii*) पता (राज्य के नाम के सहित).....

(ग) (*i*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसमें चालान आरम्भ हुआ.....

(*ii*) उस स्थान और राज्य का नाम जिस को वस्तु प्रेषित की गई है.....

मूल प्रति

केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम, १९५७

प्ररूप "ङ II"

धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन प्रमाणपत्र

[नियम, १२(२) देखिए]

राज्य का नाम

क्रम संख्या

[धारा ६(२)(क) में निर्दिष्ट विक्रय क्रम में के प्रथम या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरक द्वारा या धारा ६(२)(ख) में निर्दिष्ट विक्रय क्रम में के द्वितीय या पश्चात्वर्ती हस्तान्तरक द्वारा (दो प्रतियों में) दिया जाये]।

(क) वस्तुओं के हक्क दस्तावेजों के हस्तान्तरण द्वारा बेचने वाले व्यापारी का नाम.....

(ख) (*i*) खरीदने वाले व्यापारी का नाम.....

(*ii*) पता (राज्य के नाम के सहित).....

(ग) (*i*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसमें चालान आरम्भ हुआ.....

(*ii*) उस स्थान और राज्य का नाम जिसको वस्तु प्रेषित की गई है.....

(घ) (*i*) बीजक संख्या और तारीख

(*ii*) वस्तुओं का अभिवर्णन, उनकी मात्रा और उनका मूल्य

(*iii*) देने वाले राज्य के नाम के सहित खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त प्ररूप 'ग' वाले घोषणापत्र की संख्या और तारीख.....

(*iv*) रेल रसीद (बिलटी) लारी का (ट्रिपशीट) या परिवहन के अन्य साधनों के किसी अन्य दस्तावेज की संख्या और तारीख.....मैं/हम बेचने वाला/वाले व्यापारी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि .....

(क) मैं/हम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूं/हैं और.....राज्य में का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या.....ता०.....मंधारण करता हूं/करते हैं

(ख) मैं/हम ने, वस्तुओं के उपर्युक्त मद 'ग' में निर्दिष्ट, एक राज्य से दूसरे को चालान के अभ्यन्तर, उनके हक्क दस्तावेज प्ररूप 'ङ१/ङ२' के.....संख्या वाले प्रमाणपत्र के अधीन खरीद कर, ऐसे जाने के अभ्यन्तर उनका उसके खरीदने वाले व्यापारी के पक्ष में, जिसका पता इस प्रमाणपत्र में दिया

(घ) (*i*) बीजक संख्या और तारीख

(*ii*) वस्तुओं का अभिवर्णन, उनकी मात्रा और उनका मूल्य

(*iii*) देने वाले राज्य के नाम के सहित खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त प्ररूप 'ग' वाले घोषणा पत्र की संख्या और तारीख.....

(*iv*) रेल रसीद (बिलटी) लारी का (ट्रिपशीट) या परिवाहन के अन्य साधनों के किसी अन्य दस्तावेज की संख्या और तारीख.....मैं/हम बेचने वाला/वाले व्यापारी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि....

(क) मैं/हम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूं/हैं और राज्य.....में का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या.....ता०.....मंधारण करता हूं/करते हैं,

(ख) मैं/हम ने, वस्तुओं के, उपयुक्त मद 'ग' में निर्दिष्ट, एक राज्य से दूसरे को चालान के अभ्यन्तर उनके हक्क दस्तावेज प्ररूप 'ङ१/ङ २' के....संख्या वाले प्रमाणपत्र के अधीन खरीद कर, ऐसे जाने के अभ्यन्तर उनका उसके खरीदने वाले व्यापारी के

(घ) (*i*) बीजक संख्या और तारीख.....

(*ii*) वस्तुओं का अभिवर्णन, उनकी मात्रा और उनका मूल्य

(*iii*) देने वाल राज्य के नाम के सहित खरीदने वाले व्यापारी से प्राप्त प्ररूप 'ग' वाले घोषणापत्र की संख्या और तारीख.....

(*iv*) रेल रसीद (बिलटी) लारी का (ट्रिपशीट) या परिवाहन के अन्य साधनों के किसी अन्य दस्तावेंज की संख्या और तारीख .....मैं हम बेचने वाला/वाले व्यापारी प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि.....

(क) मैं/हम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हूं/हैं और राज्य.....में का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या..... ता०.....मंधारण करता हूं/करते हैं,

(ख) मैं/हमने वस्तुओं के, उपर्युक्त मद 'ग' में निर्दिष्ट, एक राज्य से दूसरे को चालान के अभ्यन्तर उनके हक्क दस्तावेज प्ररूप 'ङ१/ङ२' के....संख्या वाले प्रमाणपत्र के अधीन खरीद कर, ऐसे जाने के अभ्यन्तर उनका उसके खरीने वाले व्यापारी के

गया है, पश्चात्वर्ती विक्रय किया है,

(ग) उस व्यापारी ने, जिससे मैं/हमने उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट चालान के अभ्यन्तर वस्तुओं के हक्क दस्तावेज खरीदे हैं, प्रमाणित कर दिया है (*i*) कि वह कर दे चुका है/देगा या (*ii*) वस्तुओं के हक्क दस्तावेजों के पूर्ववर्ती हस्तान्तरकों में से किसी के द्वारा दिया जा चुका है/दिया जायेगा ।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... व्यक्ति की हैसियत या सम्बन्ध (उदाहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्वधारी. निदेशक, सरकारी कारबार का भारसाधक पदाधिकारी)

तारीख ..... पता .....
(राज्य के नाम के सहित)

टिप्पण: प्रमाणपत्र देने वाले व्यापारी द्वारा रख लिया जाये ।

पक्ष में, जिसका पता इस प्रमाणपत्र में दिया गया है पश्चात्वर्ती विक्रय किया है,

(ग) उस व्यापारी ने, जिससे मैं/हमने उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट चालान के अभ्यन्तर वस्तुओं के हक्क दस्तावेज खरीदे हैं, प्रमाणित कर दिया है (*i*) कि वह कर दे चुका है/देगा या (*ii*) वस्तुओं के हक्क दस्तावेजों के पूर्ववर्ती हस्तान्तरकों में से किसी द्वारा दिया जा चुका है/दिया जायेगा ।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... व्यक्ति की हैसियत या सम्बन्ध (उदाहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्वधारी, निदेशक, सरकारी कारबार का भारसाधक पदाधिकारी)

तारीख ..... पता .....
(राज्य के नाम के सहित)

टिप्पण: प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यापारी द्वारा रख लिया जाये ।

पक्ष में, जिसका पता इस प्रमाणपत्र में दिया गया है, पश्चात्वर्ती विक्रय किया है

(ग) उस व्यापारी ने, जिससे मैं/हमने उपर्युक्त (ख) में निर्दिष्ट चालान के अभ्यन्तर वस्तुओं के हक्क दस्तावेज खरीदे हैं, प्रमाणित कर दिया है (*i*) कि वह कर दे चुका है/देगा या (*ii*) वस्तुओं के हक्क दस्तावेजों के पूर्ववर्ती हस्तान्तरकों में से किसी के द्वारा दिया जा चुका है/दिया जायेगा ।

हस्ताक्षर.....

स्थान..... व्यक्ति की हैसियत या सम्बन्ध (उदाहरणार्थ प्रबन्धक, भागीदार, स्वत्वधारी, निदेशक, सरकारी कारबार का भारसाधक पदाधिकारी)

तारीख..... पता .....
(राज्य के नाम के सहित)

टिप्पण: समुचित राज्य सरकार द्वारा १३(३) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुकूल विहित प्राधिकारी को दी जाये ।

[संख्या ८/८/एस० टी०/५८]

PRINTED AND PUBLISHED IN INDIA BY THE MANAGER H.P. ADMINISTRATION PRESS SIMLA